नियम बेमानी, ठेकेदारों पर मेहरबानी

जलदाय विभाग में करोड़ों का घोटाला

दौसा @ पत्रिका

patrika.com/world

जलदाय विभाग के दौसा सर्किल में अधिकारियों ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर ठेकेदारों पर मेहरबानी की। कई मामलों में अधिकारियों ने अधिक राशि का भुगतान कर दिया। ठेकेदारों के लिए बिना स्वीकृति नियमों में शिथिलता बरती गई। इससे जहां करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई, वहीं लोगों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला।

दौसा सर्किल में वर्ष 2011-12, 12-13 व 13-14 के कार्यों के लिए गठित जांच समिति ने

जलदाय विभाग के अधिकारियों व संवेदकों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला उजागर किया है। बताया जाता है कि अधिकतर संवेदक राजनीतिक रसूख वाले हैं। नियम विरुद्ध कार्य संवेदकों को दिए गए। मनमर्जी से कार्यों की वित्तीय सीमा बढ़वा ली गई।

जांच कमेटी ने 14 प्रकरणों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता-जयपुर व 5 प्रकरणों में अधीक्षण अभियंता (एसई) जयपुर वृत्त द्वारा वित्तीय सीमा से बाहर जाकर मौद्रिक सीमाओं में अनियमित वृद्धि करना पाया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने 400.92 लाख व अधीक्षण अभियंता ने 33.91 लाख रुपए की अनियमित वृद्धि की है। वहीं अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) इनसे एक कदम आगे बढ़कर निकले। 77 प्रकरणों में एसीई व एसई द्वारा स्वीकृत वित्तीय सीमा से अधिक बढ़कर 518.15 लाख रुपए का भुगतान एक्सईएन ने संवेदकों को कर दिए, जबकि एक्सईएन को यह करने का अधिकार नहीं है।

किसी का डर नहीं

जलदाय विभाग के अभियंताओं ने सरकार के आदेशों की भी परवाह नहीं की है। गत तीन वर्षों में 184 प्रकरणों में अभियंताओं ने ठेकेदारों द्वारा काम ली जा रही सामग्री की जांच कर रिपोर्ट भी नहीं दी, जबकि जलदाय विभाग के शासन सचिव ने 30 नवम्बर 2011 को आदेश जारी किए थे कि ठेकेदारों द्वारा सामग्री लगाने से पूर्व अभियंता द्वारा उसकी जांच की जाएगी। 8 मामलों में एसीई व एसई के अनुमोदन के बाद भी एक्सईएन ने एक माह तक कार्यादेश जारी नहीं किए, जबकि नियमानुसार तीन दिन में कार्यादेश देने होते हैं।